

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26696/2026**

शिवम देव वंशी @ सिद्धांत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : आदर्श मोहन पांडे, सुमित्रा द्विवेदी,

शुभम त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री सौमित्र द्विवेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-I, श्री विजय कुमार को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 43/2024, अंतर्गत धारा 498-ए, 302, 316 एवं 34 भारतीय दंड संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-मऊ, जनपद-चित्रकूट में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक मृतका का देवर है तथा तथापि, मृतका की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई किंतु आवेदक अलग रहता था। वह अपने माता-पिता के साथ रहता था और यह तथ्य उनके राशन कार्ड से स्पष्ट होता है, जिसे पेपर बुक के पृष्ठ 225 पर संलग्न किया गया है।
4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विवेचना के दौरान भी इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 05.07.2024 के आदेश के माध्यम से आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 41 पर संलग्न है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि आवेदक मृतका का देवर है और वह अलग रहता था, इसलिए, मृतका के पारिवारिक मामलों से उसका कोई सरोकार नहीं था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के माता-पिता रंजीत एवं शिव कुमारी के जमानत आवेदन भी इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं और उनके जमानत आदेश क्रमशः पेपर बुक के पृष्ठ 174 एवं 169 पर संलग्न हैं।
7. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह 14.07.2026 से जेल में है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अतः, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने हालाँकि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
10. यह परिलक्षित होता है कि आवेदक मृतका का देवर है और उसकी 'भाभी' की उसके वैवाहिक घर में गला घोटने के कारण मृत्यु हुई किंतु अभिलेख से आगे यह पता चलता है कि आवेदक मृतका से अलग रह रहा था और विवेचना के दौरान भी उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी।
11. इसके अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है कि मृतका के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
12. इसके अतिरिक्त, तथापि, वर्तमान मामले में आवेदक 14.07.2026 से ही जेल में है, किंतु इस तथ्य को देखते हुए कि विवेचना के दौरान इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह मृतका से अलग रह रहा था तथा मृतका के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के जमानत आवेदन भी इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, इस न्यायालय की दृष्टि में केवल इसी आधार पर आवेदक के जमानत आवेदन को अस्वीकार करना उचित नहीं है।
13. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में, वह 14.07.2026 से जेल में है।
14. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदक- शिवम देव वंशी @ सिद्धांत को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अगस्त 03, 2026